ारीख
ो इस
ामील
हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 15/2022

1–शहजू पुत्र महताब जाति मेव निवासी नगला वादीपुर तहसील कामां

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः 30.11.2022 7.12

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है । कि आराजी खसरा नम्बर 29/0.18 वाके ग्राम रोशियाका तहसील कामां में स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 29/0.18 व खसरा नम्बर 26/0.18 पूर्व में खसरा नम्बर 68 मिन नं0 था जो पुराने खसरा नम्बर को टेस नक्शा में एक ही जगह दर्शाया हुआ था किन्तु मौके पर प्रार्थी ने अपने मन बट के आधार पर एक तरफ रास्ता के सहारे कब्जा लेकर वक्त बयनामा अब तक काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर इसी कदर कब्जा व काश्त है। तथा मुताबिक मनबट के बाद से ही इसी प्रकार से प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच किये खिलाफ कानून व मौके के प्रार्थी के खसरा नम्बर 29/0.18 को नये नक्शा टेस में सडक सहारे दर्ज नहीं किया जबकि प्रार्थी का पूर्व से ही मुताबिक मनबट के आधार पर सडक के सहारे उक्त खसरा नम्बर स्थित है । जिसे प्रार्थी को सरहप्त हक तलफी हो रही है । इसलिए प्रार्थी को मौके कब्जा के अनुसार नक्शा टेस बन्दोबस्त में शुद्धि चाहता है । जो न्याय संगत है । बन्दोबस्त नक्शा टेस बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 29/0.18 को सडक के सहारे मौका कब्जा के अनुसार कायम किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर जबाव पेश किया गया कि आ0ख0नं0 26 व 29 वाके ग्राम रोशियाका पटवार मण्डल मूसेपुर तहसील कामां का मौका देखा गया । मुताबिक राजस्व रिकार्ड के आ0ख0नं0 26 रकवा 0.18 हैक्ट कुर्सीद वहीद पिसरान सिरदार वगैरा जाति मेव साकिन नगला वादीपुर के नाम दर्ज है । वक्त मौका निरीक्षण बताया कि आ0ख0नं0 26 व 29 गत खसरा नम्बर 68 से बने हैं, लेकिन खसरा नम्बर 26 रकवा 0.18 हैक्ट पर शहजू पुत्र महताब जाति मेव काबिज होकर काश्त कर रहा है । तथा आखनं0 29 जो रिकार्ड शहजू पुत्र महताव के नाम दर्ज है पर कुर्शीद पुत्र सिरदार वगैरा जाति मेव काबिज है तथा काश्त कर रहे है भू0प्रबन्ध विभाग ने

साबिक आराजी खसरा नम्बर 68 मि के दो बराबर नम्बर बना कर काबिज मौके के विपरीत राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित कर दी है ।

अतः आ0ख0नं0 26 पर वर्तमान जमाबन्दी सं0 2074–77 में शहजू पुत्र महताव जाति मेव साकिन नगला बादीपुर का नाम तथा आराजी खसरा नम्बर 29 रकवा 0.18 हैक्ट में कुर्शीद वहीद पिसरा सिरदार जाति मेव निवासी नगला बादीपुर वगैरा के नाम दुरूस्त किया जाना उचित होगा ।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–2077, नक्शा टेस, भू प्रबन्ध विभागीय, पेश किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का अवलोकन किया । तहसीलदार कामां ने अपनी रिर्पोट मे बताया है कि आ0खनं0 26 पर वर्तमान में शहजू पुत्र महताब जाति मेव निवासी नगला बादीपुर का नाम तथा आ0ख0नं0 29 रकवा 0.18 हैक्ट मे कुर्शीद वहीद पि0सिरदार जाति मेव निवासी नगला बादीपुर के नाम दुरूस्त किया जाने बावत अवगत कराया है । जबकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में आ0ख0नं0 29 / 0.18 को सडक के सहारे मौका कब्जा के अनुसार कायम किये जाने का निवेदन किया है । अर्थात खसरा नम्बर बदलने का प्रार्थना पत्र पेश किया है । जबकि तहसीलदार कामां द्वारा सिर्फ नाम परिवर्तन के लिए अवगत कराया है । ना कि खसरा नम्बर बदलने की रिपोर्ट की है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत खारिज किया जाता है ।

आज निर्णय दिनांक ~~30.11~~ 7.12.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)